

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
(स्वास्थ्य भवन)

Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/स्था0/जोन-अजमेर/ x-01 -00691/2024/266

दिनांक:- 2/6/24

--: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक 312 दिनांक 18.02.2021 एवं 881 दिनांक 5.10.2020, 929 दिनांक 05.10.2020 व 918 दिनांक 05.10.2020 द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थायी करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/एएनएम/भर्ती-18/25/351 दिनांक 23.03.2022 एवं 386 दिनांक 30.03.2022 के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स श्रेणी द्वितीय/नर्सिंग ऑफिसर के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिका का नाम व पद (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जानी है	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	महेन्द्र कुमार मीणा नर्सिंग अधिकारी	अजमेर	07.06.1990	02.05.2020	—	13.08.2022	14.08.2022
02	सज्जनी चौधरी नर्सिंग अधिकारी	डीडवाना कुचामन	16.07.1991	09.10.2020	—	22.12.2022	23.12.2022
03	लिछमण राम नर्सिंग अधिकारी	डीडवाना कुचामन	14.09.1980	19.10.2020	—	18.10.2022	19.10.2022
04	भरतलाल डांगी नर्सिंग अधिकारी	डीडवाना कुचामन	01.08.1990	19.10.2020	—	18.10.2022	19.10.2022

नोट:- 1. उक्त कार्मिकों के द्वारा यदि परिवीक्षाकाल में एक माह से अधिक असाधारण अवकाश का उपभोग किया गया है, तो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में नियमानुसार परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

1. क्रम संख्या 01 पर अंकित कार्मिक महेन्द्र कुमार मीणा के द्वारा दिनांक 02.08.2022 से 13.05.2022 तक 103 दिवस का असाधारण अवकाश का उपभोग किये जाने के फलस्वरूप परिवीक्षाकाल में 103 दिवस अभिवृद्धि की गई।

2. क्रम संख्या 02 पर अंकित कार्मिका सज्जनी चौधरी के द्वारा दिनांक 14.04.2021 से 27.06.2021 तक 75 दिवस का असाधारण अवकाश का उपभोग किये जाने के फलस्वरूप परिवीक्षाकाल में 75 दिवस की अभिवृद्धि की गई।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7706554

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
(स्वास्थ्य भवन)

Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/स्था0/जोन-अजमेर/x-01-00691/2024/266

दिनांक:- 7/6/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन-अजमेर।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर/ नागौर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय उप जिला चिकित्सालय परवतसर डीडवाना कुचामन।
5. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7706554

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :06-06-2024 10:18:31